255 / ... 11

200

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 ,

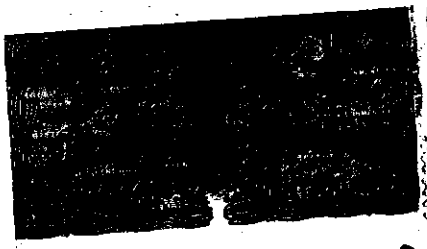

[redacted]

मुमताज बानो पति मो0 मोतीन निवासी ग्राम टिकुरा , रघुनाथ गंज तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 .. आवेदिका

III / पुनर्विलोकन / रीवा / भू-रा / 2017/2660

बनाम

1 मो0 सलीम तनय श्री मो0 सिद्दीकी उर्फ छंदी मन्सूरी निवासी रघुना तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0

2- फकीर मो0 तनय मोहम्मद सिद्दीकी निवासी टिकुरा , रघुनाथ तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ।

3- भू अर्जन अधिकारी राजस्व मनगवां .... अनावेदक गण

दिनांक 14-8.17 को श्री वीरेन्द्र कुमार [illegible] [illegible] एडवोकेट (हस्ताक्षर 14-8.17)

वीरेन्द्र कुमार [illegible] एडवोकेट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल मनगवां , म0प्र0 आदेश दिनांक 05-07-2011

आवेदन पत्र बाबत पुनर्विलोकन किये जाने । पारित आदेश दिनांक 02-08-2017

अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू रा0 संहिता

मान्यवर ,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

1- यह कि उक्त निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष की गई थी निगरानी दायरा बिन्दु पर विलम्ब के कारण खारिज गई , जिससे उक्त पारित आदेश में निम्न बिन्दुओं पर बाद पु का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है ।

[illegible] यह कि माननीय न्यायालय द्वार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/2660

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.9.17	आवेदक की ओर से श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/2357 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/2660 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/2357 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 15.06.2015 से किया जा चुका है। रिव्यु प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/2660	

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य प्र्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य